No. A-12018/6/2022-Admin.II Prtg-UD
Government of India
Ministry of Housing and Urban Affairs
Directorate of Printing
'B' Wing, 4th Floor, Minto Road Press Complex,
New Delhi - 110002
*******

Dated: 20th December, 2024

**OFFICE MEMORANDUM**

Sub : Hindi translation of Draft Recruitment Rule for the post of Asstt. Manager (Administration) in GIPs - Reg.

The undersigned is to forward herewith the draft Recruitment Rule (RR) for the post of Asstt. Manager (Administration) in Govt. of India Presses under administrative control of Directorate of Printing, with a request to translate the draft RR into Hindi. This translation is required for circulation among the Presses to invite comments from the stakeholders.

2. This may be treated as '**Most Immediate**'.

Encl : As above

(Ravi Kumar)
Deputy Director (A-II)

To

Asstt. Director (Hindi section),
Directorate of Printing,
Ministry of Housing and Urban Affairs,
Minto Road, New Delhi - 110002

उपरोक्त अनुवाद की स्वच्छ प्रति आपको भेजी जा रही है।
20/12/24

# अनुसूची

| पद का नाम | पद संख्या | वर्गीकरण | वेतनमान | चयन अथवा अचयन पद | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा | सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| सहायक प्रबंधक (प्रशासन) भारत सरकार मुद्रणालय | 9* (2023)<br><br>*(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।) | साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, गैर अननुसचिवीय | वेतन मेट्रिक्स में स्तर 7(44,900-1,42,400/- रुपये) | चयन पद | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

| सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्न्त व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है | भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता | प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती कि दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा। | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना | किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा। |
|---|---|---|---|---|---|
| (8) | (9) | (10 ) | (11) | (12) | (13) |
| जी नहीं | लागू नहीं होता | 100 % प्रोन्नति द्वारा, जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा | <u>प्रोन्नति</u><br>वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु) में ऐसे लेखाकार और प्रधान लिपिक जिन्होंने भारत सरकार मुद्रणालय/मुद्रण निदेशालय में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है।<br>*पदोन्नति परस्पर पात्रता सूची पर आधारित होगी जिसे संबंधित पदों पर नियमित आधार पर हुई नियुक्तियों की तिथियों के अनुरूप बनाया जाएगा।<br><br>** सहायक प्रबंधक (प्रशासन) की उपलब्ध रिक्तिय़ों/पुनरुज्जीवित पदों को भर्ती नियमावली की अधिसूचना की तिथि से लेखाकारों के लिए 5 वर्षों की नियमित सेवा | **समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति :**<br><br>1. निदेशक (मुद्रण)<br>**-अध्यक्ष**<br>2. संयुक्त निदेशक (प्रशा)/अवर सचिव (पी एस पी)/ उप निदेशक (प्रशासन)<br>**-सदस्य**<br>3. उप निदेशक (तकनीकी/मुद्रण)/ प्रबंधक (भारत सरकार मुद्रणालय<br>**-सदस्य** | लागू नहीं होता |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | के उपलब्ध मानदंड तथा प्रधान लिपिकों के लिए 7 वर्षों की नियमित सेवा के उपलब्ध मानदंड के अनुरूप भरा जाएगा जो परस्पर पात्रता सूची पर आधारित नहीं होगा।<br><br>प्रतिनियुक्ति -<br><br>केन्द्रीय सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अथवा स्वायत्त निकायों अथवा राज्य सरकारों/ केन्द्रीय शासित प्रदेशों के अधिकारी;<br><br>(क)<br>(i) नियमित आधार पर सदृश पदधारी<br><br>अथवा<br><br>(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु) में मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में 5 वर्ष सेवा की है।<br><br>और<br><br>(ख) प्रशासन के क्षेत्र में दो वर्षों का अनुभव | | |